राजस्व वाद संख्याः–61/2024
बेदकौर बनाम रामकोरी वगै0
निर्णय दिनांकः– 08.04.2025

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर सूरजगढ झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारीः– श्रीमती सुमन देवी II(आर.ए.एस.)

मु0नं0 61/2024

01. बेदकोर पुत्री मन्दरूप पत्नि नेकीराम जाति जाट निवासी हसास तहसील बाढडा जिला चरखी दादरी हरियाणा

––वादीगण

बनाम

01. रामकोरी पुत्री मन्दरूप पत्नि महावीर प्रसाद जाति जाट निवासी हसास तहसील बाढ़ड़ा जिला चरखी दादरी हरियाणा

02. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान

––––––प्रतिवादीगण

उपस्थितः– वादीगण

दावा बाबत घोषणा रिकार्ड दुरूस्ती

निर्णय

वादी गण ने घोषणार्थ , रिकार्ड दुरूस्ती , यह कि सरहद ग्राम कुलोठ कलां में वादीया व प्रतिवादीया संख्या 01 की संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की पैतृक भूमि खसरा नम्बर 86 रकबा 3.06, हेक्टर कुल किता 01 कुल रकबा 3.06 हैक्टर भूमि स्थित है। उक्त भूमि वादीया व प्रतिवादीया नम्बर 01 को अपने पूर्वजों से विरासत में प्राप्त हुई है।

यह कि वादीया व प्रतिवादीया नम्बर 01 के द्वारा वेदकोर बनाम बेगराज मुकदमा न्यायालय सब डिविजनल ऑफिसर झुन्झुनू के पेश किया था जिसका निर्णय व डिक्री दिनांक 19.09.1991 को जारी की गई थी जिसमें उक्त भूमि खसरा नम्बर 86 रकबा 3.06 हैक्टर में वादिया का हिस्सा 1/2 व प्रतिवादिया नम्बर 01 का हिस्सा 1/2 घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड में पालना हेतु लिखा गया था। आदेश की पालना बाबत हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरण भरते समय बेदकोर पुत्रा मन्दरूप, दड़का पत्नि नेकीराम व रामकोर पुत्री मन्दरूप, दड़का पत्नि महावीर प्रसाद डिक्री में लिखा हुआ था जिसमें हल्का पटवारी द्वारा दड़का पत्नि महावीर हिस्सा 1/4 दड़का पत्नि नेकीराम हिस्सा 1/4, बेदकोर पुत्री मन्दरूप हिस्सा 1/4 व रामकोरी पुत्री मन्दरूप हिस्सा 1/4 राजस्व रिकॉर्ड में गलत चर्ज कर दिया गया जो कानूनन वादिया दुरूस्त करवाने की अधिकारी है।

यह कि दड़की /दड़का वादिया व प्रतिवादिया नम्बर 01 की माता थी व नेकीराम बेदकोर के पति का नाम था महावीर प्रसाद प्रतिवादिया नम्बर 01 रामकोर के पति का नाम था परन्तु राजस्व कर्मचारियों के द्वारा दड़का पत्नि महावीर हिस्सा 1/4 व दड़की पत्नि नेकीराम हिस्सा 1/4 गलत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जो कानूनन वादिया दुरूस्त करवाने की अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

वाद प्रस्तुत होने पर दिनांक 01.04.2024 को दर्ज रजिस्टर कर दिनांक 30.04.2024 को नियत किया गया । दिनांक 02.05.2024 को प्रतिवादिया संख्या 01 की और से इकबालिया जवाब पेश किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली आज वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र मिशल तलबी पेश करने पर तलब की गयी । पत्रावली एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया । अवलोकन बाद प्रार्थना पत्र मिशल तलबी स्वीकार की जाकर आज की तारीख पेशी दिनांक 08.04.2025 में ली गयी। वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी । वादी अधिवक्ता की बहस सुनने के पश्चात बहस पर मनन किया गया। मनन पश्चात पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का ध्यान पूर्वक अवलोकन व बहस वादी पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं अन्य दस्तावेजो से यह साबित होता है कि दड़की /दड़का वादिया व प्रतिवादिया नम्बर 01 की माता थी व नेकीराम बेदकोर के पति का नाम था महावीर प्रसाद प्रतिवादिया नम्बर 01 रामकोर के पति का नाम था परन्तु राजस्व कर्मचारियों के द्वारा दड़का पत्नि महावीर हिस्सा 1/4 व दड़की पत्नि नेकीराम हिस्सा 1/4 गलत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जो कानूनन वादिया दुरूस्त करवाने की अधिकारी है।

भूमि खसरा नम्बर 86 रकबा 3.06 हैक्टर कुल किता 01 कुल रकबा 3.06 हैक्टर मौजा ग्राम कुलोठ कलां तहसील सूरजगढ़ में दड़का पत्नि महावीर प्रसाद हिस्सा 1/4 व दड़की पत्नि नेकीराम हिस्सा 1/4 हजफ किया जाकर वादिया व प्रतिवादिया नम्बर 01 को 1/2 –1/2 हिस्से भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इस आशय की दुरूस्ती का आदेश प्रतिवादी नम्बर 02 को दिया जावे।

इसलिये वाद वादिया डिक्री किया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादिया डिक्री किया जाता है कि भूमि खसरा नम्बर 86 रकबा 3.06 हैक्टर कुल किता 01 कुल रकबा 3.06 हैक्टर मौजा ग्राम कुलोठ कलां तहसील सूरजगढ़ में दड़का पत्नि महावीर प्रसाद हिस्सा 1/4 व दड़की पत्नि नेकीराम हिस्सा 1/4 हजफ किया जाकर वादिया व प्रतिवादिया नम्बर 01 को 1/2–1/2 हिस्से भूमि का खातेदारी अधिकारो की वादी एवं प्रतिवादिया संख्या 01 के हक में घोषणा की जाती है। तहसीलदार सूरजगढ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल बरामद करे, रहन यदि कोई हो तो संबधित खातेदार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के पक्ष में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर बाद तकमिल जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.04.2025 को खुले इजलास में सुनाया गया।

(श्रीमती सुमन देवी आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

राजस्व वाद संख्याः–61/2024
बेदकौर बनाम रामकौरी वगै0
निर्णय दिनांकः– 08.04.2025

मूल वाद में (अंतिम) डिकी
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर सूरजगढ झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारीः–
श्रीमती सुमन देवी II (आर.ए.एस.)

मु0नं0 61/2024
निर्णय दिनांकः– 08.04.2025

बेदकौर बनाम रामकौरी वगै0
दावा बाबत घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती

वादी अधिवक्ता द्वारा इस वाद मे आज की तारीख 08.04.2025 को श्रीमती सुमन देवी II उपखंड अधिकारी सूरजगढ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और अन्तिम डिकी दी जाती है कि–

"वाद वादिया डिकी किया जाता है कि भूमि खसरा नम्बर 86 रकबा 3.06 हैक्टर कुल किता 01 कुल रकबा 3.06 हैक्टर मौजा ग्राम कुलोठ कलां तहसील सूरजगढ़ में दड़का पत्नि महावीर प्रसाद हिस्सा 1/4 व दड़की पत्नि नेकीराम हिस्सा 1/4 हजफ किया जाकर वादिया व प्रतिवादिया नम्बर 01 को 1/2–1/2 हिस्से भूमि का खातेदारी अधिकारो की वादीया एवं प्रतिवादिया संख्या 01 के हक में घोषणा की जाती है। तहसीलदार सूरजगढ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल बरामद करे, रहन यदि कोई हो तो संबधित खातेदार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के पक्ष में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिकी जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज दिनांक 08.04.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गयी।

(श्रीमती सुमन देवी II आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़